

10/3/2026 पत्रावली पेश हुई वादी वकील अनुपस्थिति

वादी व वादी वकील को बार-बार  
रुक-रुक कर आवाज लगवाई गई,  
फिर भी वादी व वादी वकील उपस्थित  
नहीं हुए।

अतः वादी द्वारा उल्लेखित वाद पत्र अन्तर्गत  
धारा 53, 188 RT Act वादी व वादी  
की अनुपस्थिति के कारण अदम दायरी  
अदम पेंचकी में खारिज की जाती है।  
पत्रावली फैसलधुमार घेकर दाखिल दफ्तर  
है।

nlw ✓  
सहायक कलक्टर  
एवं सप सप अधिकारी  
बिलासपुर